# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :278/2023

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ तहसील श्रीकरणपुर। | | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

तारीख रजू:– 31.08.2023

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955**

**––निर्णय––** दिनांक : 31.08.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40/36 में 1.490 हैक्टर नहरी भूमि ,खाता संख्या 117/95 में 0.889 हैक्टेयर नहरी भूमि व खाता संख्या 41/35 में 0.158 हैक्टेयर नहरी भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों में वादी का नाम नाबालिग हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह सरंक्षक जसविन्द्र कौर जाति जटसिख निवासी 33 एफ दर्ज है। परन्तु अब प्रार्थी बालिग हो चुका है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम के आगे से नाबालिग हटाये जाने के आदेश दिए जावे।
2. प्रार्थना पत्र के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3547 दिनांक 16.08.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताविक चक 60 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 77 में राकेश क प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 41 जीजी की जमाबन्दी में नाबालिग हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह सरंक्षक जसविन्द्र कौर जाति जटसिख निवासी 33 एफ दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के जन्मप्रमाण पत्र व अन्य कागजात में जन्म दिनांक 25.07.2005 अंकित है। जिससे प्रार्थी की आयु दिनांक 25.07.2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40/36 की प्रति, राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 117/95 की प्रति, राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 41/35 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कक्षा 10 की अंकतालिका की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40/36, खाता संख्या 117/95 व खाता संख्या 41/35 में अंकित नाम नाबालिग हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह सरंक्षक जसविन्द्र कौर जाति जटसिख निवासी 33 एफ के स्थान पर हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ दर्ज करवाने बावत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में जन्म तिथि 25.07.2005 दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 41 जीजी की जमाबन्दी में नाबालिग हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह सरंक्षक जसविन्द्र कौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:52:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

जाति जटसिख निवासी 33 एफ दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के जन्मप्रमाण पत्र व अन्य कागजात में जन्म दिनांक 25.07.2005 अंकित है। जिससे प्रार्थी की आयु दिनांक 25.07.2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**–:आदेश:–**

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 40/36 , खाता संख्या 117/95 व खाता संख्या 41/35 में अंकित नाम नाबालिग हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह सरंक्षक जसविन्द्र कौर जाति जटसिख निवासी 33 एफ के स्थान पर हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 31.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:52:48 IST
Reason: SelfAttested

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर**
**ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)**

हर्षविन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत **88 आरटीए** मुकदमा नम्बर **278/2023**
**निर्णय दिनांक :- 31.08.2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 40/36 , खाता संख्या 117/95 व खाता संख्या 41/35 में अंकित नाम नाबालिग हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह सरंक्षक जसविन्द्र कौर जाति जटसिख निवासी 33 एफ के स्थान पर हर्षविन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एफ दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज दिनांक 31.08.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | -- |
| **योग** | 02 | **00** | **योग** | **00** | **00** |

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
दिनाकः 31.08.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/ 455
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:52:48 IST
Reason: SelfAttested